

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)
॥ ज्ञापन ॥

क्रमांक...2806

रतलाम, दिनांक 31.08.24

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील मुख्यालय जावरा जिला रतलाम के प्रतिलिपि अनुभाग में प्रतिलिपि आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैयार किये जाने के संबंध में विज्ञापित प्रकाशित किए जाने बाबत।

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील मुख्यालय जावरा जिला रतलाम के प्रतिलिपि अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रतिलिपि तैयार किए जाने के संबंध में निविदाये स्थानीय स्तर के समाचार पत्र दैनिक भास्कर आदि में प्रकाशित की जाने हेतु आपकी ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा अतिशीघ्र प्रकाशित करवाकर कार्यालय को सुचित करने का कष्ट करे।

संलग्न :- निविदा आमंत्रण।

वारते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक...2807

रतलाम, दिनांक 31.08.24

प्रतिलिपि :-

1- रजिस्टार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर उक्त निविदा मय शर्तों सहित वेबसाईट www.mphc.in एवं www.tenders.gov.in पर अपलोड करवाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

2- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, रतलाम की ओर जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील मुख्यालय जावरा जिला रतलाम के प्रतिलिपि अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रतिलिपि तैयार किए जाने के संबंध में निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

3- जिला नाजिर रतलाम/नायब नाजिर जावरा की ओर जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील मुख्यालय जावरा जिला रतलाम के प्रतिलिपि अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रतिलिपि तैयार किए जाने के संबंध में निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील मुख्यालय जावरा के नोटिस पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय अधीक्षक, कलेक्टर रतलाम की ओर जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील मुख्यालय जावरा जिला रतलाम के प्रतिलिपि अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रतिलिपि तैयार किए जाने के संबंध में निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन कलेक्टर कार्यालय रतलाम के नोटिस पर चरपा करना सुनिश्चित करें।

5- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रतलाम एवं नगर पालिका तहसील जावरा की ओर जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील मुख्यालय जावरा जिला रतलाम के प्रतिलिपि अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रतिलिपि तैयार किए जाने के संबंध में निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निविदा शर्तें, फार्म एवं विज्ञापन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रतलाम एवं नगर पालिका तहसील जावरा के नोटिस पर चरपा करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- निविदा आमंत्रण एवं निविदा शर्तें।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)


:: विज्ञप्ति ::

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय रतलाम के प्रतिलिपि अनुविभाग, जिला मुख्यालय रतलाम एवं तहसील मुख्यालय जावरा जिला रतलाम में प्रायवेट फोटोकॉपियर मशीन स्थापित किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति इस स्थापना पर फोटोकॉपियर मशीन स्थापित किये जाने हेतु इच्छुक हो, वे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम में कार्य दिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदाओं की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार निविदा दिनांक 20.09.24 को सायं 5:00 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक 20.09.24 को सायं 5:00 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि यदि उपस्थित हो तो के समक्ष खोला जावेगा।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphe.in एवं www-tenders.gov.in पर भी देखा जा सकता है।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2024/938, दिनांक 02.07.24 के निर्देशानुसार जिला न्यायालय में प्रतिलिपि कार्य के लिए शर्तें :-

01. एक बंद लिफाफे से सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई 10,000/- (दस हजार रुपये) की बैंक ग्यारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं 6 माह की अवधि के लिए वैध हो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम में आवश्यक रूप से दिनांक 20.09.24 को सायं 5:00 बजे तक जमा हो जानी चाहिये, अपूर्ण/सशर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश की निविदाएँ निरस्त की जावेगी।
02. निविदाएँ दिनांक 20.09.24 को समय सायं 5:00 बजे जिला न्यायालय की निर्माण समिति के अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में उन सभी उपस्थित व्यक्तियों जिन्होंने निविदाएँ प्रस्तुत की हैं, अगर उपस्थित हो तो उनके समक्ष खोली जावेगी। निविदा की नियम, शर्तों एवं दरों में कांट्रैक्ट, परिवर्तन या सुधार नहीं होना चाहिये, सभी प्रारूप/संलग्नक-1 हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं उस पर संस्था की सील होनी चाहिए।
03. जिसकी निविदा चुनी जावेगी उसे संस्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस में परफॉरमेंस ग्यारंटी के रूप में पाँच प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक ग्यारंटी एफ.डी.आर./अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के पक्ष में देनी होगी। परफॉरमेंस सुविधा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिए वैध होगी, जिसमें वारंट/त्रुटि उत्तरदायित्व यदि हो भी शामिल होगा।
04. संस्था द्वारा प्रतिलिपि प्रति कॉपी की दर के हिसाब से समस्त करें एवं शासकीय देयको को सम्मिलित कर प्रदाय की जावेगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिए पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जानी चाहिये।
05. फोटोकॉपी मशीन जिला न्यायालय परिसर रतलाम तथा तहसील न्यायालय परिसर जावरा जिला रतलाम में निर्देशानुसार स्थापित करनी होगी। कार्यालय समय में फोटोकॉपी मशीन की उपलब्धता को ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।
06. दर का अनुबंध, दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होगा। सेवा में संतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तों पर प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
07. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं नियमानुसार कर काटा जावेगा। सिर्फ संवैधानिक देयकों जो कि शासन द्वारा अधिसूचना/नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर अनुबंध की अवधि में दर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अतः संस्था जो कि निर्धारित राशि एक वर्ष के लिए प्रभावी रख सकें, वही आवेदन करे।
08. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के निर्देशानुसार मशीनों की संख्या कार्य के अनुसार जरूरत के हिसाब से कम अथवा ज्यादा की जा सकती है, परंतु ठेकेदार को बिना रुकावट के कार्य को संपन्न

करना होगा। अतिरिक्त व्यक्ति की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे की कार्यालय के कार्य में रुकावट न हो।

09. कोई परिवहन या अन्य व्यय देय नहीं होंगे।

10. ठेकेदार फोटोकॉपी मशीन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, स्टेशनरी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले कागज (75 जी.एस.एम.) टोनर, स्टेप्लर पिन और अन्य लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी। फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त व्यक्ति को रखने की तथा उन पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व ठेकेदार को होगा।

11. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटोकॉपी कार्य कार्यालय में आसानी से हो सके और कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न हो अगर कार्य में रुकावट होगी तो 500/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी अधिरोपित की जावेगी, इसके अतिरिक्त फोटोकॉपी के कार्य में बाजार से ज्यादा मूल्य आने पर वह राशि लंबित बिलों/संस्था की परफॉर्मेंस सुरक्षा निधि से काटी जावेगी।

12. आदेशित कार्य को पूरा करने के लिए जिस फोटोकॉपी मशीन की स्थापना की जानी है वह एक वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ठेकेदार को उक्त मशीन के मॉडल/वर्ष के सत्यापन हेतु कय की गई मशीन का बिल प्रस्तुत करना होगा।

13. संस्था द्वारा लगाई जाने वाली फोटोकॉपी मशीन की बनावट और मॉडल की जानकारी सर्विस टेक्स का प्रमाण टिन नंबर और केन्द्र साशित मंत्रियों/अन्य सरकारी कार्यालयों/अंडरटेकिंग या अन्य प्रतिष्ठित संस्था जिनको की ठेकेदार द्वारा फोटोकॉपी की आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान की गई हो के प्रमाण के दस्तावेज तथा संतुष्टिपूर्ण कार्य की रिपोर्ट, पूर्ण विवरण जैसे पता, ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे संपर्क किया जा सके, इस निविदा के साथ उक्त दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए।

14. यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि न्यायालय के दस्तावेज किसी अनाधिकृत व्यक्ति तक न पहुँच पायें इस शर्त का उल्लंघन पर कठोर परिणाम भुगतना होंगे और अनुबंध बिना किसी सूचना के ई.एम.डी./निष्पादन प्रतिभूति और लंबित बिलों को छोड़कर समाप्त किया जा सकेगा।

15. अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। ठेकेदार के कोई भी भ्रष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिभूति को जप्त किया जा सकेगा और उसे ब्लेकलिस्टेड किया जाकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना उपपट्टे की अमान्य किया जावेगा।

17. अनुबंध के निष्पादन के दौरान यदि किसी की मृत्यु या दुर्घटना अथवा भौतिक संपत्ति की हानि होती है तो दी गई छूट के अतिरिक्त समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी

18. जिला न्यायालय केवल विद्युत एवं खाली जगह की सुविधा ठेकेदार को बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा अन्य कोई सुविधा नहीं।

19. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम या ठेकेदार एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं। यदि कोई भी पक्ष अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करता है।
20. ठेकेदार या उसके स्टॉफ के किसी सदस्य के द्वारा जानबूझकर या अन्यायपूर्ण कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
21. यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। तो वे 24 घंटे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस उसे दे सकते हैं और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वे उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने के साथ उचित कदम उठा सकते हैं।
22. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार द्वारा की गई फोटोकॉपी का ही मूल्य अदा करेंगे। यदि अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अनुबंध में वर्णित अन्य उपचार को सुरक्षित रखते हुए 500/- रुपये प्रति घटना/प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबंध राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि काटी जा सकेगी तथा उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इंकार भी किया जा सकेगा यदि पृष्ठ या प्रिंटिंग इत्यादि संतोषजनक न हो।
23. अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार की जिम्मेदारी है और स्थल पर कार्य की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी।
24. अनुबंध के दौरान केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा भविष्य में अधिसूचना द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समस्त नियम अधिनियमों को अनुबंधकर्ता पूर्ण समय पालन करेगा। यदि ठेकेदार के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कार्य से किसी नियम या अधिसूचना द्वारा संशोधित अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वह नियोक्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को क्षतिपूर्ति देगा।
25. अनुबंध के दौरान ठेकेदार के किसी कार्य या लापरवाही से अगर जिला न्यायालय की किसी संपत्ति की क्षति होती है या चोरी होती है तो ठेकेदार को उसे अपने स्वयं के व्यय से पूर्ति करना होगा।
26. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्णतः बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेंगे।
27. यदि दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न किया जावेगा, परंतु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम होंगे के समक्ष रखा जावेगा और उनके द्वारा दिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जावेगी।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र.

:: OFFICE OF THE DISTRICT & SESSION JUDGE ::
:: RATLAM (M.P.) ::

// ANNEXURE- 1//

LIMITED TENDER PERFORMA FOR OUTSOURCE PHOTOCOPY WORK

1- Rate Quotation of the Tender (INCLUSIVE OF ALL TAXES)

S. NO.	Particulars	Rate peer copy with Paper (A-4 size J.K/Orient/bilt matrix Board paper, 75gsm)	Rate per copy with (legal size of J.K./orient/bilt matrix Board paper. 75 gsm Paper)
1	Single side photocopy on one sheet		
2	Photocopy on back to back side on one sheet		

2- Machine Model No. and Make

3- Earnest money details :

..... date.....for.....

Rs. 10,000/- Name of Bank.....

4- PAN No.....

5- TIN No.....

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us.

Signature.....

Name & Address with seal & Date.....

Phone (O)

(M).....

(R).....